न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 78/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

कल्याण सिंह पुत्र मेघसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सिरसौदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.04.2014 तहसीलदार रूपवास मिसिल नम्बर 01/2014 उनवानी रिपोर्ट पटवारी रूपवास बनाम कल्याणसिंह (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 18.02.2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 11.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.04.2014 खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 885 एवं खसरा नम्बर 995 पर पश्चातवर्ती अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुये सिविल कारावास की सजासे दण्डित किये गजाने का आदेश दिया है जबकि अपीलान्ट द्वारा किसी सरकारी भूमि व रास्ते आम की भूमि पर कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा का आदेश बैड इन लॉ होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 785, 786 एवं 784 अपीलान्ट के खातेदारी के खेत है, इन आराजीयात से लगा हुआ खसरा नम्बर 885 रास्ते का नम्बर है रास्ते का नम्बर पूरा मौके पर खाली है जो रास्ते प्रयोजनार्थ जनता द्वारा उपयोग में लिया

जा रहा है। अपीलान्ट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 885 गैरमुमकिन रास्ते से चिपटेवा है। खसरा नम्बर 885 की पैमाइश नहं की गई है, सिर्फ कयास के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की है वह खिलाफ कानून होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कभी पुनः अतिक्रमण नहीं किया है। सरकारी भूमि खाली है। ईधन, विटौरा जो भी है वह अपीलान्ट की खातेदारी में है मात्र गांव की पार्टीबन्दी के आधार पर गांव वालों से मिलकर पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दी है जो विश्वास किया जाने योग्य नहीं है। अपीलाधीन निर्णय होने के पश्चात अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमी की कोई कार्यवाही नहीं हुई है इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का किसी सरकारी भूमि पर मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध हो जाने के सम्बन्ध में अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी, अपीलान्ट के अभिभाषक जिन्होने तहसीलदार के यहां अपीलान्ट की पैरवी की थी के द्वारा यह कहकर निशचिंत करा दिया था कि धारा 91 की कार्यवाही पूर्व में दी गई अण्डरटेकिंग के आधार पर समाप्त कर दी गई है। इसी विश्वास पर रहते हुये अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की। दिनांक 11.10.2017 को जब थाना रूपवास कस सिपाही अपीलान्ट के घर आया और अपीलान्ट को अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय होने की जानकारी देते हुये अवगत कराया तब अपीलान्ट ने दिनांक 12.10.2017 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने के लिये अपने पुत्र हरीओम से प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत कराया। दिनांक 12.10.2017 को नकल मिलने के उपरान्त जानकारी से अन्दर म्याद यह अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 11.04.2014 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 885 एवं 995 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है व मौके एवं नियमों के विपरीत है। अपीलान्ट प्रार्थी का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उन्होने बताया कि अपीलान्ट के खातेदारी रकवा से लगा हुआ विवादित आराजी खसरा नम्बर 885 है जो खुला हुआ है जनता के आम रास्ते के काम में आ रहा है। तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बरान की कोई पैमाईश वगैरा नही की गई है। केवल कयास के आधार पर अपीलाधीन आदेश झूठी रिपोर्ट के आधार पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कहना है कि

अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर पुनः अतिक्रमण नहीं किया है जो भी ईधन बटौरा वगैरा रखे हुये है वह अपीलान्ट की खातेदारी रकवा में है। आम रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। तहत न्यायालय में अपीलान्ट के ओर से जिन अभिभाषक ने पैरवी की थी उन्होने अपीलान्ट को यह कहकर कि पूर्व प्रकरण धारा 91 की कार्यवाही में दी गई अन्डरटेकिंग के आधार पर यह कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। दिनांक 11.10.17 को थाना रूपवास के सिपाही ने अपीलान्ट को बताया था कि आपके विरूद्ध निर्णय हो चुका है, जानकारी होने पर तहसील रूपवास में जाकर फैसले की जानकारी की गई तब जाकर अपीलाधीन आदेश की नकल लेकर अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। दिनांक 11.10.17 से पूर्व अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश 11.04.2014 की कोई जानकारी नहीं थी। देरी को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.4.2014 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्को में जाहिर किया कि तहसीलदार रूपवास ने पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट अतिक्रमी के खिलाफ कार्यवाही करते हुये नियमों के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी ने आराजी खसरा नम्बर 995 एवं 885 पर राई की फसल बोकर एवं ईधन कन्डा डालकर अतिक्रमण किया है जो रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया था। उस समय भी तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10.02.2009 से अपीलान्ट को बेदखल, पैनल्टी एवं 1 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये थे। तहत न्यायालय ने हल्का पटवारी के बयान लिये गये है। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तो सही है। अपील म्याद बाहर काफी देरीना करीब 3 वर्ष बाद पेश की गई है। देरीना पेश करने के संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 में इतनी लम्बी अवधि से पेश करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। विचाराधीन अपील तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.04.2014 के खिलाप न्यायालय हाजा में 3 वर्ष 6 माह म्याद बाहर दिनांक 23.10.2017 को पेश की गई है। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के

लिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी थाना रूपवास के सिपाही द्वारा दिनांक 11.10.2017 को दिया जाना बताया है। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय में अपीलान्ट/उनके अभिभाषक ने उपस्थित होकर पैरवी की है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी पुलिस के सिपाही से हुई है, स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम काबिल खारिज के रहता है। अपील की मैरिट पर विचार किया गया रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं गिरदावर से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट ने संवत 2070 में राई की फसल बोकर एवं कन्डा ईधन डालकर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार ने धारा 91 एलआरएक्ट के तहत अतिक्रमी के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुये बयान अतिक्रमी एवं बयान हल्का पटवारी लिये गये है। बयानात हल्का पटवारी से स्टष्ट है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर सन् 2009 में भी अतिक्रमण किया था जिसके खिलाफ तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल, पैनल्टी एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिनांक 10.02.2009 को दिये गये थे। अपीलाधीन आदेश में भी इसका विस्तृत उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर आदतन अतिक्रमी है। अपीलाधीन ओदश दिनांक 11.04.14 में अपीलान्ट अतिक्रमी को बेदखल करने 50 गुना पैनल्टी कायम किये जाने एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने की जो आज्ञा पारित की गई है वह उचित है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.14 में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार रूपवास को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर